फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

राधा वगै0 बनाम ग्राम पंचायत डांगरवाडा वगै0

मुकदमा नं0 :— 09/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अपीलार्थी ने अपील प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के हकपूर्वाधिकारी स्व0 प्रभातीलाल पुत्र गुल्ला की खातेदारी भूमि पुराना खाता सं0 54 नया खाता सं0 5 खसरा नम्बर 665/5 रकबा 0.4046है0 किस्म बारानी 3 ग्राम ग्रामजीपुरा पटवार हल्का डांगरवाडा तहसील जमवारामगढ हाल आंधी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 प्रभातीलाल पुत्र गुल्ला के कब्जे काश्त की भूमि थी। जिसका नियमन सन 1970 मे किया जाकर नामान्तकरण अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी के नाम नामा0 332 में अलम दराज किया गया। उसके बाद से उक्त भूमि खसरा नम्बर 665/5 अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 प्रभातीलाल पुत्र गुल्ला के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है जिस पर अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 प्रभातीलाल पुत्र गुल्ला अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त रहे। उसके उपरान्त अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 प्रभातीलाल पुत्र गुल्ला नियमनशुदा भूमि का नामां0 दिनांक 28.05.1990 को उक्त भूमि की खातेदारी अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 प्रभातीलाल पुत्र गुल्ला के नाम नामा0 सं0 36 में दर्ज इन्द्राज कर दिया और उक्त भूमि खसरा नम्बर 665/5 की खातेदारी बदस्तुर अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी स्व0 प्रभातीलाल पुत्र गुल्ला के नाम चलती रही है। तत्पश्चात दिनांक 12.01.2005 को रेस्पोडेट सं0 3 लगायत 8 के हकपूर्वाधिकारी प्रभातीलाल पुत्र छोटू का देहान्त हो जाने के बाद रेस्पोंडेंट सं0 3 लगायत 8 ने रेस्पोंडेंट सं0 1 व 2 से व उसके कर्मचारिया/अधिकारीयों से मिलीभगत कर विरासत में स्व0 प्रभातीलाल की वल्दीयत में गुल्ला व छोटू एक ही व्यक्ति है का नोट लगवाकर अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 665/5 सम्पूर्ण का नामा0 सं0 574 अपने नाम तस्दीक करवा लिया और उसके बाद उक्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट सं0 3 लगायत 8 के नाम दर्ज आयी है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 665/5 का नामा0 कानूनन अपीलार्थीगण के नाम खोला जाना चाहिये था लेकिन रेस्पोडेंटस सं0 3 लगायत 8 ने अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 व उसके कर्मचारियों/अधिकारीयों से मिलिभगत विरासत की बिना किसी ठोस आधार के जॉच के अपने हक मे खुलवा लिया इस प्रकार से रेस्पोडेंट सं0 3 लगायत 8 के हक में खोला गया नामा0 सं0 574 शुरू से ही गतल एवं शुन्य है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः रेस्पोडेन्ट सं0 1 ग्राम पंचायत डांगरवाडा द्वारा नामान्तकरण सं0 574 पर पारित निर्णय दिनांक 31.07.2015 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थीगण के नाम अपीलार्थीगण की खातेदारी दर्ज करवाया जावें। वकील रेस्पोंडेंटस सं0 3 लगायत 8 ने अपने जवाब में अंकित बिन्दूओं को ताईन्द करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील में नामा0 सं0 574 दिनांक 31.07.2015 को चुनौती दी गई है उक्त नामा0 कोर्ट कैम्प नीमला में तहसीलदार द्वारा खोला गया है न की ग्राम पंचायत डांगरवाडा द्वारा ऐसी स्थिति में जहा नामा0 तहसीलदार द्वारा खोला गया हो उसके विरूद्व अपील ए0डी0एम0 महोदय के समक्ष पोषणीय है। उक्त अपील पूरी तरह से अवधि	अधिकारी

बाधित है। क्योंकि नामा0 सं0 574 दिनांक 21.07.2015 को खोला गया है और अपील दिनांक 06.11.2024 को पेश की गयी है जबकि विधिक रूप से उक्त अपील 30 दिवस के भीतर ही प्रस्तुत की जा सकती है। अतः उक्त अपील को सरसरी तौर पर ही निरस्त फरमाया जावें।

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर पाया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में वादग्रस्त नामान्तकरण सं0 574 दिनांक 21.07.2015 कोर्ट कैम्प नीमला में तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। जिसकी अपील न्यायालय में किया जाना उचित नही है तथा न्यायालय हाजा के अधिकार क्षेत्र में नही आता है। चुकि तहसीलदार द्वारा तस्दीक नामान्तकरण की अपील माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर के यहॉ किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़